सं. ए-41020/8/2017-प्रशा.I
संघ लोक सेवा आयोग
(प्रशासन-I अनुभाग)
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड
नई दिल्ली-110069

दिनांक : 08 जून, 2018

परिपत्र

विषय : संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में अल्पकालिक संविदा के आधार पर केन्द्र / राज्य सरकार या स्वायत्तशासी निकायों से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का नियोजन।

संघ लोक सेवा आयोग, आयोग के कार्यालय में अनुभाग अधिकारी स्तर पर परामर्शदाता के रूप में नियोजन के लिए पैनल तैयार करने हेतु केन्द्र/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी निकायों के ऐसे सरकारी सेवक जो परामर्शदाता (अनुभाग अधिकारी) के लिए अनुभाग अधिकारी स्तर या उससे ऊपर के स्तर से सेवानिवृत्त हो चुके हैं या 30/06/2018 तक सेवानिवृत्त होंगे, से संघ लोक सेवा आयोग आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जो निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	**पद का नाम**	**पैनलबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित पदधारियों की संख्या**	**आयु सीमा (01.07.2018 को)**	**प्रतिमाह पारिश्रमिक**
1.	**परामर्शदाता (अनुभाग अधिकारी)**	20	63 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो	31,000/- रु.

2. उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में पात्रता मानदंड, विचारार्थ विषयों आदि का विवरण आयोग की वेबसाइट अर्थात् www.upsc.gov.in पर उपलब्ध है ।

3. पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में विधिवत भरकर, सीलबंद लिफाफे में जिस पर मोटे अक्षरों में **"संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में संविदा आधार पर परामर्शदाता (अनुभाग अधिकारी) के रूप में नियोजन के लिए आवेदन पत्र"** लिखकर अधिक से अधिक 30.06.2018 तक इस कार्यालय में निम्नलिखित पते पर भेज दें :-

अवर सचिव (प्रशा.),
कमरा सं. 216/एबी, संघ लोक सेवा आयोग,
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली-110069

(संजय कुमार गुप्ता)
अवर सचिव (प्रशा.)
टेली.नं. 23381665

<u>प्रपत्र</u>

संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में परामर्शदाता के नियोजन हेतु आवेदन

1.	नाम (बड़े अक्षरों में)						
2.	शैक्षिक योग्यता						
3.	जन्मतिथि						
4.	सरकारी सेवा से अधिवर्षिता की तारीख						
5.	आधार सं. तथा पैन सं. (कृपया जैराक्स प्रति संलग्न करें)						
6.	पीपीओ क्रमांक (कृपया जैराक्स प्रति संलग्न करें)						
7.	दूरभाष/ मोबाइल नंबर सहित पूरा आवासीय पता						
8.	सेवानिवृत्ति के समय कार्यालय का पता						
9.	ईमेल आई डी						
10.	सेवानिवृति से ठीक पहले, विगत 5 वर्षों के दौरान की सरकारी सेवा में अनुभव का संक्षिप्त विवरण	धारित पद	से	तक	वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन	अनुभव का क्षेत्र	अंतिम आहरित वेतन तथा मूल पेंशन
11.	उपर्युक्त नियोजन के लिए आपकी उपयुक्तता का समर्थन करने वाली कोई अतिरिक्त संगत जानकारी, यदि कोई हो, आवश्यकता पड़ने पर अलग शीट संलग्न करें ।						

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता / करती हूं कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य तथा सही है। मैं यह भी घोषणा करता / करती हूं कि मेरी सेवानिवृत्ति के समय मुझे सतर्कता दृष्टिकोण से निर्बाध पाया गया है। मैंने इस दस्तावेज को पढ़ लिया है तथा मैं परामर्शदाता के रूप में नियोजन से संबंधित सभी निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करता / करती हूं।

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

तिथि :
स्थान:

<u>पात्रता मानदंड</u>

नियोजन के लिए प्रस्तावित परामर्शदाता को केंद्र सरकार के मंत्रालयों / विभागों की कार्यप्रणाली से भलीभांति अवगत होना चाहिए । केवल केंद्र सरकार / राज्य सरकार के मंत्रालयों / विभागों के सेवानिवृत्त व्यक्ति जैसा कि नीचे कॉलम 3 में वर्णित किया गया है, इन पदों के लिए आवेदन करें ।

पद का नाम	**पैनलबद्ध किए जाने वाले व्यक्तियों की संभावित संख्या**	**पात्रता मानदंड तथा अनुभव**	**वांछनीय**	**प्रतिमाह मानदेय**
1	2	3	4	5
परामर्शदाता (अनुभाग अधिकारी)	20	क. किसी मंत्रालय / विभाग या उनके संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ किसी सरकारी संगठन से अनुभाग अधिकारी या इसके समकक्ष पर्यवेक्षक स्तर से सेवानिवृत्त होने चाहिए। ख. प्रारूप लेखन तथा टिप्पण में प्रवीणता तथा वर्तमान सेवा नियमों और विनियमावली का ज्ञान होना चाहिए।	कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान या कार्यालय के दैनंदिन कार्य में कम्प्यूटर का अनुप्रयोग	31,000/- रू.

शर्तें और निबंधन

1. नियोजन की अवधि

नियोजन प्रारंभ में केवल छह महीने तक की अवधि के लिए होगा जिसे परामर्शदाता के कार्य निष्पादन या विभाग की कार्य प्रणाली की आवश्यकताओं के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बढ़ाया/घटाया जा सकेगा ।

- 65 वर्ष की आयु के पश्चात विस्तार की अनुमति नहीं होगी।

2. चयन की प्रक्रिया

नियोजन पूर्णत: अल्पकालिक संविदा के आधार पर होगा । इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों को आवेदकों के अनुभव और उनकी योग्यताओं के आधार पर लघु सूचीबद्ध किया जाएगा। परामर्शदाता का चयन, सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों में से किया जाएगा।

- संघ लोक सेवा आयोग बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3. पारिश्रमिक

जैसा कि पात्रता मानदंड के कालम 5 में उल्लेख किया गया है । समेकित मासिक शुल्क के अतिरिक्त कोई अन्य परिलब्धियां जैसे मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता, आवास आदि प्रदान नहीं की जाएंगी।

4. कार्यों का क्षेत्र

उक्त नियोजन की अवधि के दौरान परामर्शदाताओं को सहायक और यदि अपेक्षित हो, पर्यवेक्षण संबंधी कार्य करना अपेक्षित होगा। संबंधित शाखा द्वारा सौंपे गए कार्य के आधार पर उन्हें संबंधित अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव को रिपार्ट करना होगा ।

5. अवकाश

परामर्शदाता किसी भी प्रकार के नियमित अवकाश का पात्र नहीं होगा। तथापि, वे एक कैलेंडर वर्ष के दौरान 8 दिन के आकस्मिक अवकाश के पात्र होंगे, जिसकी परिगणना प्रो-रेटा आधार पर की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में परामर्शदाता को सामान्य कार्य के घंटों से परे या अवकाश के दौरान कार्य के लिए बुलाया जा सकता है जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा। तथापि, शनिवार/रविवार तथा अन्य राजपत्रित अवकाश पर कार्यालय आने के लिए उन्हें प्रतिपूरक अवकाश दिया जा सकता है।

6. टी ए / डी ए

नियोजन के ग्रहण करने या इसके पूरा होने पर कोई टी ए / डी ए नहीं दिया जाएगा । यदि उन्हें उनकी नियुक्ति के दौरान आयोग के कार्य के संबंध में दिल्ली से बाहर यात्रा करना अपेक्षित होगा तो वे उन्हें संघ लोक सेवा आयोग में समकक्ष रैंक के किसी सेवारत अधिकारी के लिए लागू सामान्य नियमों के अनुसार टी ए / डी ए लेने के लिए पात्र होंगे ।

7. कार्यालय का समय तथा कार्य की अवधि

परामर्शदाताओं का नियोजन पूर्णकालिक आधार पर किया जाएगा। कार्य की अवधि, कार्यालय दिवसों के दौरान प्रात: 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक होगी, जिसमें आधे घंटे का भोजनावकाश शामिल होगा। इस अनुबंधीय नियोजन अवधि के दौरान उन्हें कोई अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। आवश्यकता पड़ने पर परामर्शदाताओं को शनिवार/रविवार/अन्य राजपत्रित अवकाशों के दिन बुलाया जा सकता है।

- परामर्शदाताओं को बायोमैट्रिक प्रणाली में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।

8. स्रोत पर कर की कटौती

आयकर अथवा लागू नियमों के अनुसार काटे जाने वाला किसी भी अन्य कर की कटौती, भुगतान करने से पूर्व स्रोत पर की जाएगी और इस प्रकार की गई कटौती के संबंध में कार्यालय द्वारा टीडीएस प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

9. आंकड़ों तथा दस्तावेजों की गोपनीयता

कार्यालय के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों के साथ-साथ तैयार किए गए डेलिवरेबल पर बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) कार्यालय का होगा। कोई भी व्यक्ति, बिना इस कार्यालय की स्पष्ट लिखित अनुमति के, इस कार्य के प्रयोजनार्थ अथवा इस कार्यालय में नियुक्ति की अवधि के दौरान एकत्र आंकड़ों, सांख्यिकीय विवरण अथवा हुई कार्यवाही अथवा जमा की गई सूचना के किसी भी भाग का प्रयोग अथवा प्रकाशन नहीं करेगा अथवा उसे किसी तृतीय पक्षकार को नहीं सौंपेगा। परामर्शदाता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपने कार्य से संबंधित दस्तावेजों का पूरा सेट इस अनुबंध की अवधि की समाप्ति से पहले तथा इस कार्यालय द्वारा अंतिम भुगतान जारी किए जाने से पूर्व इस कार्यालय में जमा कर दे।

10. हितों का परस्पर विरोध

इस कार्यालय द्वारा नियुक्त परामर्शदाता, किसी भी स्थिति में, अन्यों का किसी भी ऐसे मामले में प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, न ही राय अथवा परामर्श देगा, जो इस कार्यालय के हित के विरुद्ध हो।

11. <u>सेवा समाप्ति</u>

इस नियोजन को इस कार्यालय द्वारा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, 07 दिनों के नोटिस पर समाप्त किया जा सकेगा। यदि कोई परामर्शदाता इस नियोजन को छोड़ना चाहे, तो उसे 07 दिनों का नोटिस देना होगा, जिसे कार्यभार के आधार पर कम किया अथवा बढ़ाया जा सकेगा।

- यदि कोई परामर्शदाता किसी भी प्रकार से अनुपयुक्त पाया जाता है या वह किसी अवज्ञा/कदाचार का दोषी पाया जाता है तो उनकी सेवाओं को बिना कोई नोटिस दिए तत्काल समाप्त किया जा सकता है।

12. यात्रा सहित उनके कार्य निष्पादन के दौरान या उससे अलग, जैसा भी हो, परामर्शदाता को हुई किसी प्रकार की हानि, दुर्घटना, क्षति, चोट के लिए संघ लोक सेवा आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

13. <u>आवेदन जमा करने के दिशा-निर्देश</u>

निर्धारित प्रोफार्मा में विधिवत भरे गए आवदेन पत्र इस कार्यालय में **<u>30/06/2018</u>** तक अथवा उससे पहले प्राप्त हो जाने चाहिएं। उपर्युक्त समय-सीमा के बाद प्राप्त हुए आवेदनो पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ, निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां जमा कराई जाएं :-

(क) सेवानिवृत्ति अधिसूचना की प्रति ।
(ख) पी पी ओ की प्रति ।
(ग) पहचान पत्र की प्रति - यदि आवेदक आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख को सेवानिवृत्त होंगे ।
(घ) पैन कार्ड तथा आधार कार्ड की प्रति - अनिवार्य